

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1291/2017/उदयपुर
2. अपील संख्या – 1292/2017/उदयपुर

मैसर्स रविन्द्र हेरायस प्रा० लि०,
उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त बांसवाड़ा

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक
श्री आर.के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से


दिनांक : 17.08.2018

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त बांसवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत पारित आदेशों दिनांक 09.06.2016 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति राशि को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि किये जाने को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		कर निर्धारण आदेश का विवरण		कर बोर्ड के समक्ष विवादित राशि (रूपये)	
		अपील संख्या	आदेश दिनांक	वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज
1.	1291/2017	55/वैट	07.06.2017	2011-12	09.06.2016	1,00,77,974	57,44,445
2.	1292/2017	60/सीएसटी	07.06.2017	2011-12	09.06.2016	1,57,825	89,961

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, जिसके निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के






निरन्तर.....2

पश्चात जांच अधिकारी द्वारा पाया गया कि फर्म द्वारा मुख्यतया सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलेडियम इत्यादि प्रिसियस मेटल्स के विविध उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है एवं इनकी राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्तर्राज्यीय बिक्री की जाती है। जांच अधिकारी ने व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा अधिकांश बिक्री @ 1% कर योग्य दर से की जाती है तथा कुछ बिक्री @ 5% कर दर से भी किया जाना पाया गया। अपीलार्थी फर्म द्वारा जिन उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है, उन्हें अधिनियम की Schedule III "Goods Taxable @ 1%" में कर योग्य मानते हुए बिक्री की जाती है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 में सिल्वर नाईट्रेट, पैलेडियम क्लोराईड रूपी कैमीकल कम्पाउण्ड्स की राज्य के भीतर बिक्री की गई है जिसके विक्रय बिलों में भी अपने उत्पाद को सैन्ट्रल एक्साईज टैरिफ हैड Chapter 28 "Inorganic Chemical, Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals" के रूप में घोषित करते हुए बिक्री की है, वहीं अन्य उत्पादों को सैन्ट्रल एक्साईज टैरिफ हैड "71" "प्रिसियस मेटल" में घोषित करते हुए बिक्री की गई है। इस प्रकार सिल्वर नाईट्रेट, पैलेडियम क्लोराईड इत्यादि को Inorganic Chemical Compound मानने के बावजूद भी इसे @ 1% कर दर से बिक्री करना पाया गया। जांच अधिकारी ने पाया कि वैट अधिनियम में वस्तुओं की कर दर निर्धारित करने के लिए अधिसूचित Schedule में भी क्लोराईड नाईट्रेट रूपी कैमीकल कम्पाउण्ड्स उत्पादों को Schedule IV-B "Goods under category of Industrial Inputs - Goods Taxable @ 5%" में अधिसूचित किया हुआ है। जहां नाईट्रेट्स जैसे कि सिल्वर नाईट्रेट को प्रविष्टि संख्या 63 Nitrites and Nitrates (Excluding Ammonium Nitrate) में @ 5% से कर योग्य अधिसूचित किया गया है, वहीं Chlorides जैसे कि पैलेडियम क्लोराईड को प्रविष्टि संख्या 56 - Chlorides, Chloride Oxides and Chloride Hydroxydes, Bronides and bromide oxides, iodide and iodide oxides में स्पष्ट रूप से @ 5% कर दर से अधिसूचित किया गया है।

4. प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने पर उसने व्यवहारी का पक्ष सुनने के पश्चात प्रश्नगत माल 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना पाया तथा धारा 25, 55 एवं 61 के कर निर्धारण सम्पूरित करते हुए इस विक्रय पर अन्तर कर, ब्याज एवं निर्धारित दर से कम दर पर कर चुकाने को करवंचना मानते हुए धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपण भी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत उत्पादों की अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में संव्यवहार "सी" फॉर्म से समर्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस पर राज्य की दर से करारोपण करते हुए 4 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज आरोपित करते हुए धारा 61 आरवैट एक्ट के अधीन शास्ति का भी आरोपण किया गया।






निरन्तर.....3

5. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए इस बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की हैं एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर ये दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष वैट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।
6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा विक्रय किए जाने वाले प्रिशियस मैटल/कम्पाउण्ड्स जो कि अधिनियम के Schedule III प्रविष्टि संख्या 2 में अन्तर्विष्ट है, उसे अधिनियम के Schedule IV-part-B की प्रविष्टि संख्या 56, 63 एवं 75 में अन्तर्विष्ट मानने की विधिक भूल की है। उन्होंने आगे कथन किया कि व्यवहारी फर्म द्वारा विक्रय किया गया प्रिशियस मैटल/कम्पाउण्ड अधिनियम के Schedule III की प्रविष्टि संख्या 2 में @ 1% से कर योग्य है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की Schedule IV-B की प्रविष्टि संख्या 56, 63, 75 में कवर मानते हुए @ 5% से कर योग्य मान अन्तर कर @ 4% की अविधिक मांग सृजित की है, जो कि पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अतः उन्होंने आरोपित कर व ब्याज को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।
7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक^{ने} अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हमारे समक्ष विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत माल यथा – Crucibles, Silver Nitrate, Palladium Acetate तथा Palladium chloride पर कर दर वैट अनुसूची –तृतीय के अनुसार 1 प्रतिशत होगी अथवा अनुसूची –चतुर्थ के अनुसार 4 प्रतिशत होगी ? इस संबंध में सर्वप्रथम Schedule-III की प्रविष्टि संख्या 2 तथा Schedule-IV की प्रविष्टि संख्या 40 तथा Schedule-IV Part B की प्रविष्टि संख्या 56, 63 एवं 75 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार हैं :-

SCHEDULE-III
GOODS TAXABLE AT 1%

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
2	Jewellery, ornaments and articles made of Gold, silver, platinum and other precious metals and alloys thereof, with or without precious or semi precious stones including diamonds. vark of gold or silver	1	





निरन्तर.....4

इसी प्रकार SCHEDULE-IV (Goods taxable at 5%) की प्रविष्टि संख्या 40 एवं SCHEDULE-IV Part- B की प्रविष्टि संख्या 56, 63 एवं 75 निम्नानुसार हैं :-


SCHEDULE-IV
GOODS TAXABLE AT 5%


S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
40	Crucibles	5	

SCHEDULE-IV Part-B
GOODS UNDER CATEGORY OF INDUSTRIAL INPUTS

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax %	Conditions, if any
56	Chlorides , chloride oxides and chloride hydroxides, bromides and bromide oxides, iodide oxides.	5	
63	Nitrites and Nitrates excluding Ammonium Nitrate having the chemical formula $NH_4 NO_3$ or any combination containing more than 45 percent of Ammonium Nitrate by weight including emulsions, suspensions, melts or gels (with or without inorganic nitrates)	5	
75	Compounds , inorganic or organic of rare earth metals, or yttrium or of scandium or of mixtures of these metals.	5	

9. उक्त प्रविष्टियों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत उत्पाद Crucibles, Silver Nitrate, Palladium Acetate तथा Palladium chloride किसी भी सूत्र में Schedule-III के अंतर्गत कर योग्य नहीं है क्योंकि इस अनुसूची की संदर्भित प्रविष्टि संख्या-2 सोने, चांदी, प्लेटिनम तथा अन्य मूल्यवान धातुओं एवं इनकी मिश्र धातुओं से निर्मित गहने, जेवरात से संबंधित है, अतः इस संबंध में अपीलार्थी का पक्ष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि Schedule-IV की प्रविष्टि संख्या 40 तथा Schedule-IV Part-B की प्रविष्टि संख्या 56, 63 एवं 75 विशिष्ट प्रविष्टियां हैं जो कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत माल से ही संबंधित हैं। अतः यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नगत उत्पाद Schedule-IV/ Schedule-IV Part-B के अंतर्गत आलोच्य अवधि में 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। फलतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये कर एवं ब्याज आरोपण तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के बिन्दु पर अवर अधिकारियों के आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं।
10. उपरोक्त विवेचनानुसार इन दोनों अपीलों में अपीलीय अधिकारी के विवादित आदेशों की पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
11. निर्णय सुनाया गया।


17-8-2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(के.एल.जैन)
सदस्य